BHARAT ELECTRONICS LIMITED
CORPORATE OFFICE
OUTER RING ROAD, NAGAWARA, BENGALURU

सं./No. 17556/821/CO-HR **दिनांक / Date: 23.03.2026**

ज्ञापन / MEMO

विषय- बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)
Sub: BEL Retired Employees Contributory Health Scheme (BERECHS).
संदर्भ- कार्यालय आदेश सं.एचओ/821/027 दिनांक 19.06.1996 (यथा संशोधित)
Ref: Office Order No. HO/821/027 dated 19.06.1996 (as amended)

-o0o-

1.0 ऊपर संदर्भित कार्यालय आदेश में बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) को संशोधित और अधिसूचित किया गया था।
BEL Retired Employees Contributory Health Scheme (BERECHS) was revised and notified vide Office Order referred above.

2.0 प्रबंधन ने इस योजना के तहत दिए गए अनुलाभों को निम्नानुसार बढ़ाने / संशोधित करने का निर्णय लिया है-
Management has decided to enhance / revise the benefits extended under the Scheme as follows:

2.1 अंत:रोगी उपचार/In-Patient Treatment:

a) **बीमाकृत राशि** - फ्लोटर आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति या पत्नी के संयुक्त रूप से अंत:रोगी उपचार के लिए बीमा कंपनी के साथ बीमारक्षा इस प्रकार संशोधित किया जाता है -
Sum Insured: The Insurance coverage with the Insurance Company for In-patient treatment, jointly in respect of retiree & spouse on floater basis is revised as follows:

वर्ग Category	सेवानिवृत्ति के समय का श्रेणी Grade at the time of retirement	मूल बीमारक्षा (संयुक्त) रु. Basic Insurance coverage (Joint) Rs.	कार्पोरेट बफ़र राशि (संयुक्त) रु. Corporate Buffer amount (Joint) Rs.	
			गंभीर Critical	गैर- गंभीर Non-critical
I A	सीएमडी एवं निदेशकगण CMD & Directors	8,00,000	8,00,000	**2,50,000**
I	ई-VII से ई -IX E-VII to E-IX	8,00,000	8,00,000	**1,00,000**
II A	ई-V से ई - VIA E-V to E-VIA	6,50,000	6,50,000	**1,00,000**
II	ई-I से ई - IV एवं टीसी कार्मिक E-I to E-IV & TC Personnel	5,00,000	5,00,000	**1,00,000**
III	गैर-कार्यपालक Non-Executives	**4,00,000**	**4,00,000**	**1,00,000**

एकल सदस्य यानी केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनकी पत्नी/उनके पति के मामले में, बीमारक्षा राशि (कार्पोरेट बफ़र सहित) उक्त राशि का 75% होगी।
In case of Single Member i.e. only retiree or spouse, the coverage amount (including Corporate Buffer) will be 75% of the above amount.

b) **गंभीर बफ़र** में मौजूदा गंभीर बीमारियों जैसे हृदय संबंधी बीमारी, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, न्यूरोलॉजिकल विकार और जोड़ प्रतिस्थापन चिकित्सा के अलावा ***यकृत प्रत्यारोपण*** के लिए अंतःरोगी उपचार भी शामिल होगा।
Critical Buffer will cover In-patient treatment for ***Liver Transplantation*** in addition to the existing critical ailments viz., Heart Ailment, Cancer, Kidney Transplantation, Neurological Disorders and Joint Replacement Therapy.

c) **कार्पोरेट बफ़र के उपयोग की प्राथमिकता** - कार्पोरेट बफ़र के उपयोग की प्राथमिकता उस बीमारी की प्रकृति पर आधारित होगी जिसके लिए बफ़र की राशि का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हृदय रोग के उपचार के लिए बफ़र राशि का उपयोग किया जाता है, तो मूल बीमारशित राशि का उपयोग कर लिए जाने पर, महत्वपूर्ण बफ़र का सबसे पहले उपयोग किया जाएगा। ऐसे मामले में, मूल बीमारक्षित राशि को समाप्त करने पर, उपचार महत्वपूर्ण बफ़र के तहत अर्ह नहीं होता है, तो गैर-महत्वपूर्ण बफ़र का पहले उपयोग किया जाएगा।
Priority for utilisation of Corporate Buffer: The priority for utilisation of Corporate Buffer will be based on the nature of ailment for which the buffer amount is being utilised. For example, if the buffer amount is utilised towards treatment of heart disease, on exhausting the basic sum insured, the critical buffer will be first utilised. In the event, the treatment does not qualify under critical buffer, on exhausting the basic sum insured, the non-critical buffer will be first utilised.

2.2 बाह्य रोगी उपचार / Out-Patient Treatment:

बाह्य रोगी उपचार की वार्षिक ऊपरी सीमा इस प्रकार संशोधित की जाती है-
The annual ceiling limits for Out-Patient Treatment are revised as follows:

वर्ग **Category**	विवरण **Description**	वार्षिक ऊपरी सीमा (रु.) **Annual Ceiling limit (Rs.)**
A	अधिकृत फार्मेसी से दवाइयां Medicines from authorized pharmacy	**Rs. 40,000**
B	लैब एवं नैदानिक जाँच, आपात दवाइयां, परामर्श, दंत रोग (आयुर्वेदिक / होम्योपैथिक उपचार एवं फिजियोथेरेपी सहित) Lab & Diagnostic Tests, Emergency Medicines, Consultation, Dental (incl. Ayurvedic / Homeopathic treatment & Physiotherapy)	**Rs. 45,000**

एकल सदस्य यानी केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनकी पत्नी/उनके पति के मामले में, बीमारक्षा राशि (कार्पोरेट बफ़र सहित) उक्त राशि का 75% होगी।
In case of Single Member i.e. only retiree or spouse, the coverage amount will be 75% of the above amount.

2.3 कैंसर के बाह्य रोगी उपचार के लिए कार्पोरेट बफ़र - Corporate Buffer for Out-Patient Treatment for Cancer ailment:

- कैंसर की बीमारी के बाह्य रोगी उपचार के संबंध में, ऊपर दर्शाई गई सामान्य हकदारिता के अलावा संयुक्त सदस्यों के संबंध में **रु. 55,000/-** प्रति वर्ष और एकल सदस्यों के मामले में **रु. 41,250/-** प्रति वर्ष कार्पोरेट बफ़र के रूप में उपलब्ध होंगे। इसमें केवल कैंसर के उपचार के लिए लैब और नैदानिक जांच के खर्च को शामिल किया जाएगा।
  In respect of Out-Patient treatment for cancer ailment, **Rs. 55,000/-** per annum in respect of joint members and **Rs. 41,250/-** per annum in case of single members will be available as Corporate Buffer in addition to the general entitlement indicated above. This will only cover expenditure towards lab & diagnostic tests for cancer treatment.

- कैंसर बीमारी के लिए कार्पोरेट बफ़र वर्ग 'बी' के तहत निर्धारित ऊपरी सीमा यानी रु. 45,000/- रु. 33,750/- (जैसा लागू हो) को पूरा करने पर स्वीकार्य होगा जो लैब एवं नैदानिक जांच, आपातकालीन दवाइयों, परामर्श, दंत चिकित्सा आदि के लिए निर्धारित है।
  The Corporate buffer for cancer ailment shall be admissible on exhausting the ceiling limit under Category 'B' i.e. Rs. 45,000/- / Rs. 33,750/- (as applicable) earmarked for Lab & Diagnostic tests, emergency medicines, consultation, dental, etc.

- **बाह्य रोगी उपचार (कैंसर की बीमारी) के लिए कार्पोरेट बफ़र के उपयोग की कार्यप्रणाली- Modalities for utilization of Corporate Buffer for Out-Patient Treatment (cancer ailment):**

  (i) ऐसे सदस्य जो ऊपर दर्शाई गई मूल वार्षिक ऊपरी सीमा को पार कर चुके हैं, वे निर्धारित प्रारूप (***अनुलग्नक***) में सीएमओ/बेंगलूरु कॉमप्लेक्स (बेंगलूरु कॉमप्लेक्स, चेन्नई, हैदराबाद, मचिलिपट्नम, पुणे, नमु, सीओ, सीआरएल-बेंगलूरु, पीडीआईसी और आरओ-वैज़ाग के संबंध में) और सीएमओ/गा.बाद (गा.बाद, कोट., पंचकुला, सीआरएल- गा.बाद, दिल्ली कार्यालय और आरओ-कोलकाता के संबंध में) को कैंसर उपचार के लिए बाहरी-रोगी कॉर्पोरेट बफ़र का लाभ उठाने के लिए एक बार का अनुरोध करेंगे।
  Members who have exhausted the basic annual ceiling limit as indicated above, shall submit a one-time request to avail Out-Patient Corporate Buffer for cancer treatment, in the prescribed format ***(Annexure)*** to CMO / BG (in respect of BG, CHN, HYD, MC, PN, NAMU, CO, CRL-BG, PDIC & RO-Vizag) & CMO/GAD (in respect of GAD, KOT, PK, CRL-GAD, Delhi Offices & RO-Kolkata).

  (ii) दावे की वास्तविकता का विधिवत सत्यापन करने के बाद सीएमओ कार्पोरेट बफ़र की पात्रता को प्रमाणित और अनुमोदित करेंगे जो प्रत्येक वर्ष कार्पोरेट बफ़र की पात्रता का आधार बनेगा। कार्पोरेट बफ़र के लिए सदस्यों की अनुमोदित सूची एसएपी अभिलेखों में उपलब्ध कराई जाएगी।

CMO after due verification of the genuineness of the claim shall certify and approve the eligibility for Corporate buffer which will form the basis for entitlement of Corporate buffer every year. The approved list of members for Corporate Buffer shall be made available in SAP records.

(iii) कार्पोरेट बफ़र के तहत किए गए दावे सह-भुगतान में शामिल करने के बाद स्वीकार किए जाएंगे।
The claims submitted under Corporate Buffer shall be admissible after factoring in the co-pay.

(iv) कंपनी द्वारा कैंसर रोधी दवाइयों और कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकने वाली दवाइयों और संबंधित सहायक दवाइयों की निःशुल्क आपूर्ति की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
The existing practice of supply of Anti-cancer drugs and drugs for preventing cancer recurrence & related supportive drugs, by the Company, free of cost, shall continue.

3.0 इस ज्ञापन में किए गए प्रावधान **1 अप्रैल 2026** से प्रभावी होंगें। उपर्युक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए कार्यालय आदेश सं. प्रका/821/027 दिनांक 19.06.1996 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। उपर्युक्त कार्यालय आदेश में उल्लिखित अन्य सभी निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित बने रहेंगे।
The provisions brought out in this Memo will come into force with effect from **01st April 2026**. The Office Order No. HO/821/027 dated 19.06.1996, will be amended suitably to incorporate the above provisions. All other terms and conditions, mentioned in the above referred Office Order remain unaltered.

ए. रामकुमार
23.03.26

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी. / जी.एम./ सी.टी.ओ. / सी.एस.
यूनिट एच.आर. / वित्त प्रमुख
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख

EDs / GMs / CTOs / CS
UNIT HR / FINANCE HEADS
RO / MC HEADS

सीएमडी	डी (एफ)	डी (एचआर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बीसी)	डी (आर एंड डी)	डी (ओयू)	सीवीओ
CMD	**D (F)**	**D (HR)**	**D(MKTG)**	**D (BC)**	**D (R&D)**	**D (OU)**	**CVO**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

बीई सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)
BE RETIRED EMPLOYEES' CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME (BERECHS)

(सदस्य द्वारा कैंसर की बीमारी के लिए बाह्य-रोगी उपचार हेतु कार्पोरेट बफ़र के तहत अनुलाभ प्रादन करने के लिए कंपनी के चिकित्सा प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए / To be submitted by the member to Company's Medical Authorities for availing benefit under Corporate Buffer for Out-Patient treatment towards Cancer ailment)

1	सदस्य का नाम / Name of the Member	
2	पत्नी या पति का नाम (यदि लागू हो) Name of the Spouse (if applicable)	
3	बीईआरईसीएचएस सदस्यता संख्या BERECHS Membership Number	
4	स्टाफ़ नं. / Staff No.	
5	मोबाइल नं. / Mobile No.	
6	ई-मेल आईडी / E-mail ID	
7	दावा स्वयं के लिए है या पत्नी/पति के लिए Whether the claim is for self or spouse	स्वयं Self ☐ पत्नी/पतिSpouse ☐
8	कैंसर का प्रकार जिसके संबंध में कार्पोरेट बफ़र का अनुरोध किया गया है Type of cancer ailment in respect of which Corporate Buffer is requested.	
9	क्या इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा कैंसर के इलाज के संबंध में चिकित्सा अभिलेख या प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है Whether the medical records or certification by the treating doctor w.r.t. the cancer treatment is attached.	हां Yes ☐ नहीं No ☐
10	क्या बीईआरईसीएचएस पहचान पुस्तिका की प्रति संलग्न की गई है Whether copy of the BERECHS Identity booklet is attached.	हां Yes ☐ नहीं No ☐

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ऊपर की सूचना जहां तक मेरी जानकारी है, सत्य है। मैंने कार्यालय आदेश सं. प्रका/821/027 दिनांक 19.06.1996 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को पढ़ा है और मैं एतद्वारा यह सूचित करता / करती हूँ कि कार्पोरेट बफ़र के तहत मेरे द्वारा किए गए सभी दावे उक्त कार्यालय आदेश के प्रावधानों के अनुसार होंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/ प्रस्तुत दावा झूठा पाया जाता है तो मैं समझता/समझती हूँ कि योजना के तहत मेरे द्वारा अनुलाभ जब्त किए जाएंगे।

I hereby declare that the information provided by me above, is true to the best of my knowledge. I have read the provisions of the Office Order No. HO/821/027 dated 19.06.1996 (as amended) and I hereby submit that all claims submitted by me under the Corporate Buffer shall be in accordance with the provisions of the Office Order. In the event, the information furnished / claims submitted by me are found to be false, I understand that I am liable for forfeiture of benefits under the Scheme.

दिनांक / Date: **सदस्य के हस्ताक्षर / Signature of the Member**

कार्यालयीन प्रयोग हेतु / FOR OFFICE USE

मैंने श्री / श्रीमती ___________ (बीईआरईसीएचएस सदस्यता सं. __________________) द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेख / डॉक्टर के प्रमाण-पत्र को ध्यान से पढ़ा है।

I have carefully gone through the medical records / doctor's certificate submitted by Sri/ Smt. ___________ (BERECHS Membership No.__________________).

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूं कि कैंसर के इलाज के लिए कार्पोरेट बफ़र के तहत किया गया अनुरोध कार्यालय आदेश सं. प्रका/821/027 दिनांक 19.06.1996 (यथा संशोधित) के अनुसार है।

I hereby certify that the request for Corporate Buffer qualifies for cancer treatment as per Office Order No. HO/821/027 dated 19.06.1996 (as amended).

मैं एतद्वारा सदस्य के अनुरोध को अनुमोदित करता/करती हूं और कार्यालय आदेश के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट बफ़र की स्वीकृति की अनुशंसा करता / करती हूं।

I hereby approve the request of the member and recommend approval for Corporate Buffer amount in accordance with the provisions of the Office Order.

सीएमओ के हस्ताक्षर / Signature of the CMO